रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 11, 2014/ आषाढ़ 20, 1936
No. 173] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 11, 2014/ASHADHA 20, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2014

सं. यू-23013/10/14-एल डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा मैसर्स इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (आईआईएससीओ), चसनल्ला बनाम राष्ट्रीय कोयला कांग्रेस, धनबाद में ठेका श्रम प्रणाली के उत्सादन विचारार्थ आईआईएससीओ, चसनल्ला कोलियरी द्वारा दायर एलपीए सं. 140/2000 (1938/95 से उत्पन्न) में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची के दिनांक 22.4.2003 के आदेश में दिए गए विभिन्न नौकरियों/कार्यों में ठेका श्रम के उन्मूलन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है।

2. समिति का संघटन निम्नवत होगा :

(1) श्री आर मोहन दास, — सदस्य
निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध),
कोल इंडिया लिमिटेड, 10, नेताजी सुभाष मार्ग,
कोलकाता-700001

(2) श्री रमेन्द्र कुमार, — सदस्य
सचिव, एआईटीयूसी एवं महासचिव
भारतीय खान कामगार परिसंघ,
मार्फत संयुक्त कामगार संघ बुध बाजार
पोस्ट आफिस भुटकुन्डा-825301, जिला हजारीबाग, झारखण्ड

(3) उप मुख्य श्रमायुक्त (कें.), — सदस्य-संयोजक
चेन्नई।

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत होंगे:-

"आईआईएससीओ धनबाद की चसनल्ला वाशरी में धुले कोयले को लादने तथा उतारने के कार्य में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कार्य में ठेका श्रमिकों का नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं।"

4. इस समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा। यह समिति पक्षकारों की नए सिरे से सुनवाई करेगी, प्रस्तुतीकरण की अनुमति देगी तथा अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

जी. के. कालरा, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th July, 2014

No. U-23013/10/2014-L.W.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in various jobs/works given in order dated 22.4.2003 of Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi in LPA No.140/2000 (arising out of 1938/95) filed by IISCO, Chansnalla Colliery for consideration of abolition of contract labour system in M/s. Indian Iron and Steel Co. (IISCO), Chasnalla Vrs. Rashtriya Koyla Congress, Dhanbad.

2. The composition of the Committee will be as under:-

(1) Sh. R. Mohan Das, — Member
Director, (P&IR), Coal India Ltd.
10, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001

(2) Sh. Ramendra Kumar, — Member
Secretary, AITUC & General Secretary,
Indian Mine Workers Federation,
C/o United works' Unions, Budh Bazar,
P/o Bhurkunda-825301, Distt- Hazaribagh,
Jharkhand

(3) Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Dhanbad — Member-Convener

3. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows:-

"To study the working of contract labour system in the jobs of Loading and Unloading of washed Coal in Chansnalla washery of IISCO Dhanbad and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs in the said establishment be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970".

4. The Headquarter of the Committee will be at Dhanbad. The Committee shall hear the parties afresh, allow submission and submit its report within two months.

G.K. KALRA, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.